तक, बिहार से लेकर बंगाल तक, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ तक - इस समूची बेल्ट में राष्ट्रीय औसत लाने के लिए हमारी सरकार की 'उज्जवला' स्कीम कारगर साबित होगी। मैं इस सदन के माध्यम से सभी माननीय सदस्यों के इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय मिशन के नाम पर गति देने के लिए मदद मांगता हूं।

Fake letters about planting of bombs at public places

*65. SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Ministry has taken cognizance of the fact that fake letters about planting of bombs at public places/trains/airports etc. not only creates severe panic among public but also puts various agencies to undue pressure and stress;

(b) if so, the action taken/contemplated by the Ministry to prevent this and/or to act as deterrent for such anti-social elements; and

(c) whether the Ministry has taken up this matter with Department of Posts and States as there is no provision for compulsory registration of postal services, due to which anti-social elements are regularly misusing the same for this purpose?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI HARIBHAI PARTHIBHAI CHAUDHARY): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The Police, security agencies and other institutions periodically receive anonymous/pseudonymous communications regarding planting of bombs at various public places/modes of transport etc. Such fake communications also gets published in the media, causing alarm and panic in the general public.

Such acts by individuals are punishable under chapter XXII of the Indian Penal Code. The Ministry of Home Affairs has recently issued an advisory in this regard to all the State Governments/UTs administrations to get such cases professionally investigated and prosecuted so that such incidents are curbed.

श्री मनसुख एल. मांडवियाः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हम मीडिया के माध्यम से information लेते हैं कि हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशंस या बस स्टैंड्स पर कई बार ऐसा letter आता है या fake email आता है या पब्लिक बूथ से call आ जाती है। ऐसी स्थिति में फ्लाइट cancel करनी पड़ती है, ट्रेनें लेट हो जाती हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट के बस अड्डों पर examination में जनता को असुविधा होती है। इस तरह के fake letter लिखने वाले, fake call करने वाले लोग कभी पकड़े जाते हैं और कभी नहीं पकड़े जाते। ऐसी स्थिति में जनता में दहशत का atmosphere क्रिएट होता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार से fake letter लिखने वाले, fake call करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए क्या सार्वजनिक रूप से कोई advisory जारी की गयी है?

श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरीः सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है कि कई बार email के जरिए या by post एयरपोर्ट पर ऐसे fake letters आते हैं। इसके लिए IPC के Chapter

XXII में प्रावधान किया गया है। माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या इसके लिए कोई advisory जारी की गयी है? मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम हर बार advisory जारी करते हैं। अभी 26 तारीख को भी सभी States और Union Territories को पूरे डिटेल के साथ बताया कि ऐसा कोई भी letter अथवा email आता है, fake letter आता है तो उसकी जांच करके IPC के Chapter XXII के तहत सजा दी जाएगी।

श्री मनसुख एल. मांडविया: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने अच्छा किया कि सभी States को advisory जारी की कि ऐसे fake letter लिखने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाए। मैं जानना चाहता हूं कि अगर इस तरह की कार्यवाही करता हुआ कोई पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ कानून की तरफ से क्या action लिख जाता है, उस action के लिए कौन सा प्रावधान रखा गया है?

श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी: सभापति महोदय, यह विषय स्टेट का है और पुलिस का है। फिर भी, मैंने आपको बताया कि आईपीसी के चेप्टर XXII में और सेक्शन 505 में, पुलिस तफ्तीश करने के बाद, जांच करने के बाद, जब किसी आरोपी को पकड़ती है, तो उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा दूसरा सेक्शन 507 भी है, उसके अनुसार पुलिस उसको दो साल तक की कड़ी सजा दिलवा सकती है। यह विषय स्टेट पुलिस का है, फिर भी, किसी एडवाइजरी की जरूरत पड़गी, तो गृह मंत्रालय एडवाइजरी जारी करेगा।

SHRI K. T. S. TULSI: Hon. Chairman, Sir, it is rather shocking that despite attempts at letter bombs, etc., about which many a time fake information is given, neither the Police nor the Post Offices have any resources for being able to identify what the envelopes contain. The only way the Post Offices, even today, analyze and identify suspicious letters is through the handwriting identification. How can you expect any detection, if millions of letters are transferred every day and the only way to detect it is through the handwriting experts? And, they have no handwriting experts. How is it going to be countered and how is this menace going to be dealt with if there is such ineptness with which they are handling it?

श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात बताई है, वह सही है, क्योंकि हमने पोस्ट विभाग से भी आंकड़े मंगवाए हैं। एक दिन में 236 करोड़ लेटर आते हैं। उसके ऊपर कोई पता लिखा नहीं होता है। जो रजिस्टर्ड पत्र आते हैं, उनका भी पता सही है या नहीं है, इसका पता करने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी, हमने इन्फॉरमेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और पोस्ट विभाग को इसके बारे में बताया है। जितने भी लेटर्स डालने वाले हैं, वे लेटर बॉक्स में लेटर्स डालकर चले जाते हैं। अगर कोई पोस्ट ऑफिस में आता है, तो उसकी हम जांच कर सकते हैं। फिर भी, हमारा मंत्रालय इसके बारे में सभी विभागों के साथ तालमेल करके पूर्णत: निगरानी रखता है और पुलिस को बार-बार एडवाइजरी जारी करता है।

श्रीमती रजनी पाटिल: सभापति महोदय, हम माननीय मंत्री जी के उत्तर से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि इस तरह से अगर घटनाएं होती हैं, तो उसके लिए सामान्य जनता को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। जो दो साल की सजा का यहां पर प्रावधान किया गया है, वह कम है। मुझे लगता है कि इतनी कड़ी सजा होनी चाहिए कि इस तरह की अफवाहें फैलाने की आगे से कोई जुर्रत न कर सके। इस तरह की अफवाहों से देश के लोगों में घबराहट पैदा हो जाती है। आप इनको रोकने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी: सभापति महोदय, माननीया सदस्या का सुझाव बहुत अच्छा है।

हमारा विभाग इस बारे में बहत चिंचित है क्योंकि इतने लेटर्स और इतने ई-मेल्स आते हैं, उनकी हम जांच भी करते हैं। अगर कोई कॉल मोबाइल फोन से या टेलिफोन से आती है, तो उसको इंटरसेप्ट करके, उसकी जांच करके हम कड़े से कड़े कदम उठाएंगे। हम आपके सुझाव पर अच्छी तरह से ध्यान देंगे।

श्री तरुण विजयः सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कितनी घटनाएं होती हैं, जो fake नहीं होती हैं और क्या यह सत्य है कि बम प्लांट करना, असंतोष पैदा करने के लिए विस्फोटक पदार्थ रखना जैसी घटनाएं हो रही हैं? इस तरह की घटनाएं कितनी संख्या में हो रही हैं, उनके बारे में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? क्या ऐसी घटनाओं में किसी बाहरी मुल्क का हाथ भी आपने पकड़ा है? अगर पकड़ा है, तो उसके बारे में क्या जानकारी आपके पास है, क्या उसके बारे में आप सदन को बताएंगे? पूरी कार्रवाई के विषय में आपकी क्या चिंता है, आपका क्या चेतावनी है और आपकी क्या तैयारी है, इसके बारे में क्या आप सदन को बताएंगे?

श्री शान्ताराम नायकः सर, आज तरुण विजय जी का जन्म दिन है।

SOME HON. MEMBERS: Happy birthday, Tarun Vijayji.

MR. CHAIRMAN: Happy birth day to you.

SHRI TARUN VIJAY: Thank you, Sir, and I thank all the hon. Members.

MR. CHAIRMAN: All right.

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)ः सभापति महोदय, आज तरुण विजय जी का birthday है, इसीलिए मैंने सोचा कि इनके प्रश्न का उत्तर देने के लिंए स्वय खड़ा हो जाऊं। प्रश्नकर्ता श्री तरुण विजय जी को उनके जन्म दिवस पर हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ...**(व्यवधान)**...

श्री शांताराम नायकः सर, आज डा. भालचन्द्र मुणगेकर जी का भी जन्म दिन है।

SOME HON. MEMBERS: Happy Birthday to Dr. Mugekar Sahib.

MR. CHAIRMAN: Happy birtday to you too.

DR. BHALCHANDRA MUNGEKAR: Thank you, Sir, and thanks to all the hon. Members.

श्री राजनाथ सिंहः आपका भी जन्म दिन है। आपको भी हमारी ओर से जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। सभापति महोदय, यह बात सच है कि कई बार anonymous/pseudonymous कम्युनिकेशंस विभिन्न संस्थाओं को रिसीव होते रहते हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी ने अभी-अभी सदन को बतलाया है कि इस संबंध में विभिन्न विभागों को इस प्रकार की सूचनाएं मिलती रहती हैं। यह सच है कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ के पास भी इस प्रकार के fake letters, anonymous letters, अथवा दूसरी synonym informations, communications receive होती रहती हैं। लेकिन ये कितने letters रिसीव हुए हैं और कितनों के खिलाफ़ कार्यवाही हुई है, मैं समझता हूं कि इसकी जानकारी देने के लिए समय चाहिए। यदि यह सदन चाहेगा और आपकी इजाजत होगी, तो मैं इसका पता लगाकर रख सकता हूं। यदि इस प्रकार की communications receive होती है - मान लीजिए, यदि ये किसी भी संस्था, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को receive होते हैं, तो जैसा कि अभी हमारे सहयोगी ने बतलाया है कि आई0पी0सी0 के चैप्टर 22 के Section 505 और Section 507 में कार्यवाही करने का प्रोविज़न है। यह

पनिशेबल ऐक्ट है और उसी के तहत कार्यवाही होती है। इसके अंतर्गत सैक्शन 505 में तीन साल की और सैक्शन 507 में दो साल की सजा की कार्यवाही होती है।

Child labour

*66. SHRI ANUBHAV MOHANTY: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that "Child Labour" still exists in our country;

(b) if so, what steps have been taken by the Ministry to completely do away with such a menace; and

(c) whether the Ministry will also consider creating a flying squad to apprehend those involved in such acts in addition to the steps already being taken?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The number of main workers in the age group of 5-14 years in the country is 43.53 lakh as per 2011 Census which shows a decline from 2001 Census.

(b) Considering the nature of the problem of child labour, Government is following a multi-pronged strategy. It comprises of statutory and legislative measures, rehabilitation of children withdrawn from work through specific scheme and universal elementary education along with convergence with other schemes for socio-economic development.

Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 prohibits the employment of children below 14 years of age in certain occupations and processes and regulates the working conditions of children in employment where they are not prohibited. A Bill to amend the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 has been introduced in Rajya Sabha in 2012. The Government has also decided to move Official Amendments to this Bill. The Amendment Bill along with Official Amendments, *inter-alia,* proposes complete prohibition on employment of children below 14 years, linking the age of prohibition with the age under Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, making the punishment for employers more stringent and constitution of Rehabilitation Fund for rehabilitation activities.

Government is implementing the National Child Labour Project (NCLP) Scheme under which the children rescued/ withdrawn from work in the age group of 9-14 years are enrolled in the NCLP Special Training Centres. They are provided with bridge education, vocational training, mid day meal, stipend, health care etc. in the Special Training Centres before mainstreaming into formal education system. Children in the age group of 5-8 years are directly linked to the formal education system through a close coordination with the Sarva Shiksha Abhiyaan (SSA).